भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 51

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम

51. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्योगों में नियोजित गैर-संगठित और संगठित श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में एमएसएमई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कार्य कर रही विनिर्माण एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत नई एमएसएमई की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अशोध्य ऋण अब सकल अग्रिमों के 9.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अशोध्य ऋणों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) एमएसएमई उद्योग की अवसंरचना में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर (जुलाई 2015 से जून 2016) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार रत व्यक्तियों की लगभग संख्या 11.10 करोड़ है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसका ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ख) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार अखिल भारत में विनिर्माण कार्यकलाप के तहत दिनांक 01.07.2020 से 27.01.2023 के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 37,97,188 है।

(ग) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.07.2020 से 27.01.2023 के दौरान अखिल भारत में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या 1,36,35,176 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) अथवा क्लस्टरों का विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/फ्लैट फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

एमएसई-सीडीपी योजना के अवसंरचना विकास घटक के तहत नए औद्योगिक संपदा/फ्लैट फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए अनुदान को परियोजना की लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित (5.00 - 15.00 करोड़ रुपए) किया गया है और मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैट फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए अनुदान को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत (5.00-10.00 करोड़ रुपए) तक सीमित किया गया है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और सूक्ष्म/ग्राम अथवा महिला के स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले क्लस्टरों के लिए नए औद्योगिक संपदा/फ्लैट फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए अनुदान परियोजना की लागत के 70 प्रतिशत तक (5.00 - 15.00 करोड़ रुपए) किया गया है और मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैट फेक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए इसे परियोजना लागत के 60 प्रतिशत (5.00-10.00 करोड़ रुपए) तक रखा गया है। 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपए से अधिकलागतवाली परियोजना भी विचारार्थ रखी जा सकती है परंतु परियोजना लागत 10.00 करोड़ रुपए/15.00 करोड़ रुपए की अधिकतम पात्रता को ध्यान में रखकर भारत सरकार की सहायता की संगणना की जाएगी।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 51, जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनएसएस की 73वीं दौर की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5598878
2	अरुणाचल प्रदेश	40844
3	असम	1814541
4	बिहार	5305034
5	छत्तीसगढ	1685507
6	दिल्ली	2300267
7	गोवा	160351
8	गुजरात	6115595
9	हरियाणा	1905369
10	हिमाचल प्रदेश	642748
11	जम्मू और कश्मीर	1087551
12	झारखंड	2490794
13	कर्नाटक	7083735
14	केरल	4463350
15	मध्य प्रदेश	4874459
16	महाराष्ट्र	9074600
17	मणिपुर	292215
18	मेघालय	190549
19	मिजोरम	62359
20	नागालैंड	176610
21	ओडिशा	3325621
22	पंजाब	2478902
23	राजस्थान	4632279
24	सिक्किम	44696
25	तमिलनाडु	9671945
26	तेलंगाना	4015787
27	त्रिपुरा	294983
28	उत्तर प्रदेश	16519294
29	उत्तराखंड	659880
30	पश्चिम बंगाल	13545924
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38890
32	चंडीगढ़	128910
33	दादरा और नागर हवेली	36329
34	दमन और दीव	14438
35	लक्षद्वीप	2765
36	पुडुचेरी	183882
	कुल	**110959881**

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 51, जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2023 को दिया जाना है के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण के तहत दिनांक 01.07.2020 से 27.01.2023 के दौरान पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**01.07.2020-31.03..2023**	**01.04.2021-31.03.2022**	**01.04.2022-27.01.23**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1822	2968	3252
आंध्र प्रदेश	65295	147577	187385
अरुणाचल प्रदेश	726	2254	3075
असम	17182	72085	96016
बिहार	90170	221206	238604
चंडीगढ़	5745	9521	8051
छत्तीसगढ	33064	68826	83778
दादरा और नागर हवेली	2021	2933	2748
दमन और दीव	1071	1263	1387
दिल्ली	89698	134913	142561
गोवा	6053	8620	11955
गुजरात	247825	399471	400045
हरियाणा	103098	179699	184335
हिमाचल प्रदेश	12821	26833	37895
जम्मू और कश्मीर	26455	74459	73417
झारखंड	43100	83238	105924
कर्नाटक	152548	315153	336885
केरल	72061	118133	141633
लद्दाख	732	2304	2242
लक्षद्वीप	38	208	264
मध्य प्रदेश	111830	246203	279456
महाराष्ट्र	649424	976490	951091
मणिपुर	10419	13747	17285
मेघालय	697	2226	4705
मिजोरम	1120	3545	5597
नागालैंड	716	3313	5869
ओडिशा	49500	106021	133092
पुडुचेरी	3878	8259	9059
पंजाब	100783	182606	212382
राजस्थान	235989	393631	404053
सिक्किम	347	1768	2153
तमिलनाडु	312638	541943	569888
तेलंगाना	97944	161908	178255
त्रिपुरा	1685	6704	10563
उत्तर प्रदेश	217844	414083	521094
उत्तराखंड	22654	49725	56566
पश्चिम बंगाल	63720	170458	205609
कुल	**2852713**	**5154294**	**5628169**